

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 693]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2020 — पौष 9, शक 1942

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 दिसम्बर 2020

सूचना

क्रमांक एफ 11-20/2020/सात-4-छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तहसील की सीमाओं को परिवर्तित करना, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन तहसील सृजित करना तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से साठ दिवस की समाप्ति पर, प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव, लिखित में, सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व, अग्रेषित किये जा सकेंगे : —

अनुसूची

स.क्र.	जिला	वर्तमान तहसील	नवीन तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	नवीन तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बिलासपुर	बिल्हा	बोदरी	राजस्व निरीक्षक मण्डल बोदरी के पटवारी हल्का नंबर 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08 एवं 29 के कुल 18 ग्राम। राजस्व निरीक्षक मण्डल बिल्हा के पटवारी हल्का नंबर 09, 10 एवं 11 के कुल 08 ग्राम। राजस्व निरीक्षक मण्डल बरतूरी के पटवारी हल्का नंबर 05 एवं 26 के कुल 06 ग्राम। अतः कुल 13 पटवारी हल्के के 32 ग्राम नवीन तहसील “बोदरी” में शामिल होंगे।	उत्तर —तहसील बिलासपुर, जिला — बिलासपुर दक्षिण —तहसील बिल्हा, जिला—बिलासपुर पूर्व — तहसील मस्तूरी, जिला—बिलासपुर पश्चिम —तहसील तखतपुर, जिला—बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम.आर. ठाकुर, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 30th December 2020

NOTICE

No. F 11-20/2020/Seven-4.-In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the said Code, the State Government proposes to alter the limits of Tehsil specified in column (3), to create a new Tehsil specified in column (4) and to define the limits thereof as specified in the Schedule below.

The proposal shall be taken into consideration on the expiry of sixty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette and any objections or suggestions in respect thereof may be forwarded, in writing to the Secretary, Department of Revenue and Disaster Management, Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Capitol Complex, Nava Raipur Atal Nagar, District Raipur before the expiry of the said period :-

SCHEDULE

S.No.	District	Present Tehsil	New Tehsil	Nature of Change	Boundaries of new Tehsil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bilaspur	Bilha	Bodri	Total 18 villages of Patwari Halka No. 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, and 29 of Revenue Inspector Mandal Bodri. Total 08 villages of Patwari Halka No. 09, 10 and 11 of Revenue Inspector Mandal Bilha. Total 06 villages of Patwari Halka No. 05 and 26 of Revenue Inspector Mandal Bartori. Hence, total 32 villages of total 13 Patwari Halka shall be included in new Tehsil "Bodri".	North - Tehsil Bilaspur District-Bilaspur South - Tehsil Bilha District -Bilaspur East - Tehsil Masturi District -Bilaspur West - Tehsil Takhatpur. District -Bilaspur

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M.R. THAKUR, Joint Secretary.